राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–173/2019

मंजू देवी मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2019
आदेश की दिनांक : 02.12.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के पति राजकीय स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत होने के कारण वह अनिवार्य सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा योजना से जुड़े हुए थे। इस बीमा योजना के अंतर्गत अपीलार्थी के पति स्व. गिरधारी लाल मीणा के वेतन से प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से प्रीमियम राशि काटी जाती थी। सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना में किसी सरकारी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रत्यर्थीगण (बीमा विभाग) द्वारा दो लाख रूपये देय होते हैं। अपीलार्थी के पति की उसके निवास स्थान राजपुरा पातालवास की छत से दुर्घटनावश गिरने पर दिनांक 16.01.2015 को मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी के पति की मृत्यु उसके मकान की छत से दुर्घटनावश गिरने पर हुई है जो कि दुर्घटना की श्रेणी में आती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पत्र क्रमांक 8/2014–15 दिनांक 01.09.2015 के तहत अपीलार्थी का दुर्घटना दावा यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि मृतक की मृत्यु का कारण दुर्घटना से होना प्रमाणित नही होने से दावा अस्वीकृत का निर्णय लिया जाकर पत्रावली बन्द की जाती है।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

''(अ.) यह कि समुचित आदेश एवं निर्देश जारी कर आदेश दिनांक 01–09–2015 (अनैक्सर–4) को अनुचित और अवैध होने के कारण अपास्त करने की कृपा की जाये।

(ब.) यह कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी किये जायें कि सामुहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपीलार्थी को देय 2,00,000/–रूपये अक्षरे दो लाख रूपये की राशि का भुगतान 18% ब्याज सहित अविलंब किया जाये।

(स.) यह कि अपीलार्थी को हुयी हैरानी व परेशानी व मानसिक संतान के प्रतिकर के रूप में एक लाख रूपये अपीलार्थी को दिये जाने के निर्देश प्रत्यर्थीगण को दिये जाने की कृपा की जाये।

अन्य जो भी अनुतोष माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समुचित पाये भी अपीलार्थी के पक्ष में निर्देश जारी करने की कृपा की जाये।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीया के पति स्वर्गीय श्री गिरधारीलाल मीणा, अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बगराना में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत थे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा राज्य कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा का जोखिम कवर करने हेतु दुर्घटना बीमा पॉलिसी संख्या जी.आई.एफ./81/जी.पी.ए./14–15/2003 जारी किया गया। जिसकी अवधि दिनांक 1–5–2014 से दिनांक 30–4–2015 तक थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, झोटवाडा, जयपुर के अधीन अपीलार्थीया के पति अध्यापक पद पर कार्यरत थे, की दिनांक 16–1–2015 को मृत्यु हो जाने पर उत्पन्न जीपीए दावा जयपुर शहर कार्यालय में प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत दावा को स्वीकृत करते हुए बीमित कर्मचारी श्री गिरधारी लाल मीणा की पत्नि अपीलार्थीया श्रीमती मंजू देवी के पक्ष में बीमाधन 2,00,000/– रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये) बजट मद 8011–00–107–01–00 से भुगतान किये जाने की स्वीकृती आदेश दिनांक 18–11–2019 के द्वारा की गई। अपीलार्थीया द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थीया को आदेश दिनांक 18–11–2019 के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील निरर्थक हो गयी है।

4. पत्रावली में उपलब्ध उपरोक्त अभिकथनों पर विचार किया गया।

5. इस अपील में अपीलार्थी ने सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह

स्वीकार किया है कि पुनः विभागीय जांच के उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दावा स्वीकृत करते हुए बीमित कार्मिक श्री गिरधारी लाल मीणा की पत्नी श्रीमती मंजू देवी मीणा के पक्ष में बीमाधन राशि 2,00,000/– रूपये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। ऐसे में यह अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)